भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 392
दिनांक 06.12.2023/ 15 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों पर होने वाला व्यय

392 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों में देश में राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की संख्या में कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) प्रति कैदी किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, देश में कारागारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक- । में दिया गया है।पिछले पांच वर्षों में देश में जेलों की संख्या के आंकड़ों में कमी की कोई सतत प्रवृत्ति नहीं दिखती है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2022-23के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीआरबी को प्रदान की गई सूचना के अनुसार कैदियों पर किए गए खर्च का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक- ॥ में दिया गया है।

*****

अता. प्र. सं. 392 दिनांक 06.12.2023

अनुलग्नक-।

वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार देश में कारागार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	105	106	106	106	106
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	2	2
3	असम	31	31	31	31	31
4	बिहार	58	59	59	59	59
5	छत्तीसगढ़	33	33	33	33	33
6	गोवा	1	1	1	1	1
7	गुजरात	29	30	30	32	32
8	हरियाणा	19	19	19	19	20
9	हिमाचल प्रदेश	14	14	14	16	16
10	झारखंड	30	30	31	32	32
11	कर्नाटक	104	104	57	57	59
12	केरल	55	55	55	56	57
13	मध्य प्रदेश	130	131	131	131	132
14	महाराष्ट्र	64	64	60	64	64
15	मणिपुर	5	5	5	5	5
16	मेघालय	5	5	5	5	5
17	मिजोरम	10	10	10	10	10
18	नागालैंड	11	11	11	11	12
19	ओडिशा	91	91	92	92	92
20	पंजाब	24	24	25	26	26
21	राजस्थान	130	144	145	144	146
22	सिक्किम	2	2	2	2	2
23	तमिलनाडु	138	141	142	142	142
24	तेलंगाना	49	37	37	37	37
25	त्रिपुरा	13	13	13	13	14
26	उत्तर प्रदेश	71	72	73	75	77
27	उत्तराखंड	11	11	11	11	11
28	पश्चिम बंगाल	61	60	60	60	60
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	4	4	4	4
30	चंडीगढ़	1	1	1	1	1
31	दादरा नगर हवेली और दमन दीव +	2	2	2	2	2
32	दिल्ली	16	16	16	16	16
33	जम्मू एवं कश्मीर*	14	15	14	14	14
34	लद्दाख	-	-	1	2	2
35	लक्षद्वीप	4	4	4	4	4
36	पुदुचेरी	4	4	4	4	4
	कुल	1341	1351	1306	1319	1330

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष **2018** में, महाराष्ट्र ने सूचित किया कि राजस्व विभाग के नियंत्रण वाले उप जेल शामिल नहीं हैं।

वर्ष **2020** में, कर्नाटक ने सूचित किया कि राजस्व विभाग के नियंत्रण वाले **41** उप जेलों को जानकारी के अभाव में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, कारागार विभाग के नियंत्रण वाले **6** उप जेलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

'+' वर्ष **2018-2019** के लिए पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेलीऔर दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकडें।
'*' वर्ष **2018-2019** के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकडें।

अता. प्र. सं. 392 दिनांक 06.12.2023
अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2022-23के दौरान कैदियों पर किए गए खर्च का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यसंघ रा/ज्य क्षेत्र	खर्च (करोड़ रुमें .)
1	आंध्र प्रदेश	194.17
2	अरुणाचल प्रदेश	2.17
3	असम	21.16
4	बिहार	221.99
5	छत्तीसगढ़	78.67
6	गोवा	2.23
7	गुजरात	42.66
8	हरियाणा	406.61
9	हिमाचल प्रदेश	7.79
10	झारखंड	103.77
11	कर्नाटक	61.26
12	केरल	48.25
13	मध्य प्रदेश	136.14
14	महाराष्ट्र	70.72
15	मणिपुर	5.93
16	मेघालय	3.86
17	मिजोरम	0.32
18	नागालैंड	3.82
19	ओडिशा	68.47
20	पंजाब	54.89
21	राजस्थान	58.62
22	सिक्किम	2.43
23	तमिलनाडु	85.76
24	तेलंगाना	21.62
25	त्रिपुरा	6.21
26	उत्तर प्रदेश	403.14
27	उत्तराखंड	19.21
28	पश्चिम बंगाल	84.91
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.43
30	चंडीगढ़	8.47
31	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	1.37
32	दिल्ली	274.87
33	जम्मू और कश्मीर	24.61
34	लद्दाख	0.25
35	लक्षद्वीप	0.02
36	पुदुचेरी	0.66
	कुल	**2528.45**